भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - †2948

उत्तर देने की तारीख - 08.08.2024

जनजातीय भाषाओं का संरक्षण

†2948 श्री बैजयंत पांडा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जनजातीय भाषाओं और बोलियों का संरक्षण और संवर्धन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन भाषाओं के प्रलेखन और पुनरुध्दार के लिए प्रयुक्त की जा रही पद्धतियां क्या है;

(ख) इन प्रयासों में जनजातीय समुदायों की भागीदारी और सांस्कृतिक संरक्षण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पहलों के लिए कितनी धनराशि और संसाधन आवंटित किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, "टीआरआई को सहायता योजना" के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को नीचे उल्लिखित जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

I. जनजातीय भाषाओं में द्विभाषी शब्दकोष और त्रिभाषी प्रवीणता मॉड्यूल तैयार करना।
II. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) उपाय के तहत जनजातीय भाषाओं में कक्षा I, II और III के विद्यार्थियों के लिए प्रवेशिकाएं (प्राइमर) तैयार करना। जनजातीय भाषाओं में वर्णमाला, स्थानीय कविताएँ और कहानियाँ प्रकाशित करना।
III. जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जनजातीय भाषाओं पर पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ (जर्नल्स) प्रकाशित करना।
IV. जनजातीय लोक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जनजातियों के लोकगीतों और लोककथाओं का दस्तावेजीकरण करना। मौखिक साहित्य (गानों, पहेलियाँ, गीतों (गाथाओं) आदि) एकत्रित करना।
V. स्थानीय जनजातीय बोलियों में सिकल सेल एनीमिया रोग जागरूकता मॉड्यूल I और निदान और उपचार मॉड्यूल II के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनुवाद और प्रकाशन।
VI. सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएँ और काव्य संगोष्ठियाँ आयोजित करना।

2. इन परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से, जनजातीय समुदायों को सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी आश्रम विद्यालयों के शिक्षकों के साथ-साथ संबंधित समुदायों के भाषा विशेषज्ञ जनजातीय बोलियों और भाषा में शब्दकोष और प्रवेशिकाएं (प्राइमर्स) विकसित करने में शामिल हैं, जो न केवल जनजातीय भाषाओं को संरक्षित और परिरक्षित करता है, बल्कि कक्षा I से III तक जनजातीय छात्रों को बुनियादी

शिक्षा (अधिगम) में मदद करता है और जब वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो उन्हें सहज पारण (ट्रांजीशन) में मदद करता है। टीआरआई कार्यक्षेत्र के कार्यकर्ताओं (फ्रंट-लाइन कार्यकर्ताओं) के लिए जनजातीय भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

3. इसके अलावा, नई शिक्षा नीति में यह भी निर्धारित है कि छोटे बच्चे अपनी घरेलू भाषा और मातृभाषा में जल्दी सीखें और समझें। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा प्रदान करने और भाषा के संरक्षण के लिए बहुभाषी नीति को प्रोत्साहित कर रही हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा बताया गया है, मंत्रालय ने 2013 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर के तहत "लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण योजना (एसपीपीईएल)" शुरू की थी। यह परियोजना प्रवेशिकाओं (प्राइमर्स), द्वि/त्रिभाषी शब्दकोषों (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट प्रारूप), व्याकरणिक रेखाचित्रों (स्केचेज), सचित्र शब्दावलियों और समुदाय की नृजातीय भाषा विज्ञान प्रोफ़ाइल के रूप में 10,000 से कम वक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली भारत की मातृभाषाओं/भारतीय भाषाओं की भाषा और संस्कृति का दस्तावेजीकरण कर रही है।

4. 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त वार्षिक प्रस्तावों के आधार पर, शीर्ष समिति परियोजनाओं/गतिविधियों को मंजूरी देती है। योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के लिए बजट आवंटन (बीई) निम्नानुसार है।

योजना का नाम	**2021-22 के लिए बजट अनुमान(बीई)**	**2022-23 के लिए बजट अनुमान(बीई)**	**2023-24 के लिए बजट अनुमान(बीई)**
टीआरआई को सहायता	120 करोड़	121 करोड़	118.64 करोड़

टीआरआई को स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण के लिए, शीर्ष समिति के कार्यवृत्त को मंत्रालय की वेबसाइट (tribal.nic.in) पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, एक अन्य योजना "जनजातीय अनुसंधान, सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)" के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों को जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण और अंग्रेजी/हिंदी मूल पाठ/भाषण को चयनित भाषाओं में रूपांतरित करने और इसके विपरीतता के लिए एआई आधारित अनुवाद उपकरण विकसित करने सहित अनुसंधान अध्ययन कार्यक्रम चलाने के लिए निधियां दी जाती हैं। परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है।

संगठन का नाम	स्वीकृत परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत
भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र, वडोदरा	आदिवासी भाषाओं, संस्कृति और जीवन-कौशल का अध्ययन और दस्तावेज़ीकरण वित्त वर्ष: 2019-20	58.70 लाख. रु.
बिट्स, पिलानी और आईआईटी एवं भाषिनी का कंसोरटियम (संघ)	अंग्रेजी/हिंदी पाठ/भाषण को चयनित जनजातीय भाषाओं में और इसके विपरीत रूपांतरित करने के लिए एआई-आधारित अनुवाद उपकरण का विकास वित्त वर्ष: 2024-25	3.122 करोड़ रु.

****